फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर)

[illegible] बनाम [illegible]

मुकदमा नम्बर 34/159/1998 — वाद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	26/9/25	9/10/25	
	9/10/25	प.क. उप. उपस्थित मय वकील के साथ पत्रावली प्रस्तुत पेश हुये। जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब प्रा.पत्र हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब प्रा.पत्र पेश नहीं किया गया। जवाब प्रा.पत्र का अवसर [illegible] जवाब प्रा.पत्र बन्द किया जाता है। बहस प्रा.पत्र 07 R 11 CP पर सुनी गई। बहस [illegible] पत्रावली पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन एवं प्रा.पत्र का पाठ किया गया। वादीगण का वाद कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने एवं प्रा.पत्र 07 R 11 सही होने से प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर CP का [illegible] किया वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पृथक से किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली [illegible] होकर [illegible] रिकॉर्ड रूप में जमा हो तथा [illegible] [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं, जयपुर	

न्यायालय सहायक कलक्टर(फा0ट्रै0/मुख्यालय)चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी:–श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

वाद संख्या :–539/159/98

बेणा बनाम चेता वगै0

(वाद–पत्र)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

आदेश

दिनांक:–09.10.2025

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का इस आशय का पेश किया गया है कि वादी निषेधाज्ञा का मान्य न्यायालय के समक्ष सन् 1998 में पेश किया था जिस वाद का प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश किया गया था जिस जवाब दावे के विषेश कथन में वादी द्वारा पूर्व में एक वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी बैणा बनाम चैता वगै0 वाद संख्या 149/1998 व प्रार्थनापत्र संख्या 138/1998 पेश किया था जिस वाद पत्र पर व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को दिनांक 22.08.1998 को नोट प्रेस किया गया था। जिस कारण वादी ने वाद पत्र पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान् से पुनः नया वाद पत्र पेश करने की इजाजत नहीं ली गई है। एवं वादी ने वाद पत्र बिना किसी अधिकार तथ्यों को पेश कर वाद पत्र पेश किया है। जो वाद पत्र धारा 11 सी0पी0सी0 के तहत बार्ड बाई लॉ होने से कानूनन चलने योग्य नहीं है। वादी ने उक्त वाद पत्र में तथ्यों को छिपाना व प्रतिवादीगण को नाजायज हैरान व परेशान करने व बिना कब्जे के दावा कर तुच्छ व तंग करने की नियत से पेश किया है जो वाद पत्र व प्रार्थनापत्र कानूनन खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वादपत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 11 व सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के प्रावधानों में आने से व बार्ड बाई लॉ होने से एवं तुच्छ व तंग करने की नियत से पेश किया गया है जो वाद पत्र मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावें।

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पर बहस सुनी गई। पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थी/वादीगण के द्वारा एक वाद संख्या 149/1998 व प्रार्थना पत्र संख्या 138/1998 पेश किया था जो नोटप्रेस किया जाकर खारिज किया जा चुका है। तदोपरान्त अप्रार्थीगण/वादीगण के द्वारा पुनः वाद पेश

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

करने की इजाजत लिये बिना ही उक्त वादीगण के द्वारा ही पुनः तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है, जो बार्ड बाई लॉ एवं कानूनी प्रावधानों के असंगत होने एवं पोषणीय(Maintainable) नहीं होने के कारण प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद बार्ड बाई लॉ एवं कानूनी प्रावधानों के असंगत होने एवं पोषणीय(Maintainable) नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का स्वीकार जाता है तथा वादीगण का वाद बार्ड बाई लॉ एवं कानूनी प्रावधानों के असंगत होने एवं पोषणीय(Maintainable) नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 09.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0/मुख्यालय) चौमूँ

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0)चौमूँ, जयपुर

पिठासीन अधिकारी–: कनक जैन(R.A.S.)

वाद संख्या :–539/159/98

बेणा बनाम चेता वगै0

दावा बाबत् तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0 टी0 एक्ट)

मुकदमा नं0:–539/159/98

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण एवं प्रतिवादीमिनजामिन मुददई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का स्वीकार जाता है तथा वादीगण का वाद बार्ड बाई लॉ एवं कानूनी प्रावधानों के असंगत होने एवं पोषणीय(Maintainable) नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 09.10.2025 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत ....

सहायक कलक्टर (फा० ट्रै०

ओहदा........चौमूँ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner